

विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय



रामकृष्ण परमहंस नगर कोटा रायपुर – 492010

दूरभाष : 0771-2575734 Mob. : 8817518070

e-mail : vvschool1994@gmail.com

website : www.vivekvidya.ac.in

(पालक/छात्र प्रति)

प्रवेश सूचना (सत्र 2026-27)

- विवेकानन्द विद्यापीठ, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एक आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित कर रहा है। यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। शिक्षा सत्र 2026-27 में तीसरी, छठवीं, नवमीं एवं ग्यारहवीं की कक्षाओं में सीट की उपलब्धता के आधार पर केवल अनुसूचित जाति (66%) एवं अनुसूचित जनजाति (34%) के छात्रों को (छात्राओं को नहीं) प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। कक्षा तीसरी, छठवीं, नवमीं एवं ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु पिछली कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में (60% या अधिक) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के ही आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे। अतः प्रथम श्रेणी से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन न करें। उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु पिछली कक्षा के अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश केवल पिछले सत्र अर्थात् 2025-26 में ही उत्तीर्ण छात्रों को दी जायेगी।
- कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु छात्र की आयु 1 जुलाई 2026 की स्थिति में 9 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् 31 दिसम्बर 2016 से पहले की जन्मतिथि वाले छात्र विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
- कक्षा तीसरी, छठवीं एवं नवमीं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य के नाम पर आवेदन-पत्र सोमवार, दिनांक 18 मई, 2026 तक स्वीकार किये जायेंगे। सोमवार, दिनांक 18 मई, 2026 के बाद मिलने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र का मूल्य दस रुपये है जो संस्था में नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र संस्था के वेबसाइट www.vivekvidya.ac.in पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड/प्रिंट करके भरकर भेजा जा सकता है। आवेदन-पत्र की फोटो कापी की प्रति भी स्वीकार की जायेगी।

विद्यालय के व्हाट्सएप मोबाइल नं. 88175-18070 पर “ प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र चाहिए ” लिखकर भेजने से भी आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भेज दिया जायेगा। आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर सोमवार, दिनांक 18 मई, 2026 तक विद्यालय के कार्यालय में जमा कर सकते हैं अथवा रजिस्टर्ड डाक से आवेदन 18 मई, 2026 तक प्राप्त हो जाने पर ही स्वीकार किया जावेगा।
- आवेदन-पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (केवल कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु), पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अस्थायी (प्रोवीजनल) जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर भी दिया जा सकेगा परन्तु प्रवेश की तिथि से छः माह के भीतर जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
- प्रवेश परीक्षा – विद्यालय में प्रवेश परीक्षा निम्नानुसार आयोजित किये जायेंगे –

क्र.	कक्षा	दिनांक	दिन	समय	स्थान
1	नवमी	03-06-2026	बुधवार	प्रातः 11.00 बजे	विवेकानन्द
2	छठवीं	04-06-2026	गुरुवार	प्रातः 11.00 बजे	विद्यापीठ कोटा,
3	तीसरी	05-06-2026	शुक्रवार	प्रातः 11.00 बजे	रायपुर

कक्षा तीसरी में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में गणित (50 अंक), हिन्दी (30 अंक), एवं अँग्रेजी (20 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा दूसरी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में गणित (25 अंक), हिन्दी (25 अंक) पर्यावरण (25 अंक) एवं अँग्रेजी (25 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा छ.ग. बोर्ड द्वारा कक्षा पाँचवी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

नवमी में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में गणित (17 अंक), विज्ञान (17 अंक), सामाजिक विज्ञान (17 अंक), अँग्रेजी (17 अंक), हिन्दी (16 अंक) एवं संस्कृत (16 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा आठवीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

सभी कक्षाओं के प्रश्न-पत्र दो घंटे के होंगे। परीक्षाएँ ठीक समय पर प्रारंभ हो जावेगी। विलम्ब से आने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। पालक, छात्र को लेकर विद्यालय में कम से कम 1 घंटा पूर्व आ जाए और परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। परीक्षा में उन्हीं छात्रों को बैठने दिया जाएगा जिनके पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र **सोमवार, दिनांक 18 मई, 2026** तक प्राप्त हो जायेंगे। चयनित छात्रों की सूची 16 जून, 2026 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे संस्था के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी तथा संस्था के वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रवेश-परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचना अलग से नहीं भेजी जावेगी। विद्यार्थियों को प्रवेश-परीक्षा में आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-व्यय या अन्य भत्ता नहीं दिया जायेगा।

7. कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र **गुरुवार, दिनांक 28 मई, 2026** तक स्वीकार किये जायेंगे। कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश कक्षा दसवीं के बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार दिया जायेगा।

कक्षा ग्यारहवीं में विज्ञान (गणित एवं जीवविज्ञान) तथा वाणिज्य समूह में अध्ययन की सुविधा है। अतः कक्षा ग्यारहवीं के अन्य विषय-समूह वाले छात्र आवेदन न करें।

उक्त शर्त के साथ कक्षा ग्यारहवीं हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाते हैं। कक्षा दसवीं के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम में कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश दिया जावेगा। दसवीं के परीक्षा-परिणाम की इंटरनेट कापी के आधार पर भी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूची मंगलवार, दिनांक 16 जून, 2026 को प्रातः 11.00 बजे संस्था के सूचना-पटल पर चस्पा कर दी जावेगी तथा संस्था के वेबसाइट www.vivekvidya.ac.in पर भी उपलब्ध रहेगी। पालकों को अलग से इसकी सूचना नहीं भेजी जावेगी। उन्हें स्वयं अपने प्रवेश के संबंध में पता करना होगा। चयन सूची में उल्लेखित छात्रों को निम्नानुसार तिथियों में प्रवेश हेतु अपने पालक एवं स्थानीय अभिभावक के साथ उपस्थित होना आवश्यक है –

कक्षा नवमी	:	बुधवार, दिनांक 17.06.2026 प्रातः 10.30 बजे से शाम 03.00 बजे
कक्षा छठवीं	:	गुरुवार, दिनांक 18.06.2026 प्रातः 10.30 बजे से शाम 03.00 बजे
कक्षा तीसरी	:	शुक्रवार, दिनांक 19.06.2026 प्रातः 10.30 बजे से शाम 03.00 बजे
कक्षा ग्यारहवीं	:	शनिवार, दिनांक 20.06.2026 प्रातः 10.30 बजे से शाम 03.00 बजे

} प्रवेश तिथि

उक्त तिथियों में छात्र के साथ पालक और स्थानीय अभिभावक की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में अथवा उक्त तिथि के बाद आने वाले छात्रों के प्रवेश की पात्रता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. सभी कक्षाओं के चयनित छात्रों को प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर उपस्थित होना आवश्यक होगा। जिला परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र नियमानुसार संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना आवश्यक होगा।
9. चयनित छात्रों का छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षा-सत्र के लिए होगा। अगले वर्ष में पात्र छात्रों को छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षों में छात्र द्वारा किये गये आचार-व्यवहार के आधार पर किया जायेगा।
10. आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि/प्रवेश-परीक्षा की तिथि तथा विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथियों में शासन के निर्देशानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस सम्बन्ध में जानकारी विद्यालय के वेबसाइट अथवा विद्यालय के मोबाइल नम्बर 8817518070, दूरभाष नं. 0771-2575734 द्वारा कार्यालयीन समय में ली जा सकती है।



विद्यालय/छात्रावास में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र (सत्र 2026-27)

1. छात्र का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. माता का नाम : _____
4. जन्मतिथि : _____ (शब्दों में) _____
5. छात्र का आधार नम्बर : _____ (छायाप्रति संलग्न करें)।
6. छात्र का PEN नम्बर _____ अपार आईडी _____
7. छात्र का वजन : _____ ऊंचाई _____ ब्लड ग्रुप _____
8. छात्र किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है : _____ छात्र का मोबाइल नं. : _____
9. पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण : उत्तीर्ण कक्षा _____ उत्तीर्ण सत्र _____
पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत _____ ग्रेड _____ (सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)
पूर्व में किस शाला में अध्ययनरत थे _____
10. विशेष योग्यता (जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ी, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज आदि) : _____
11. जाति : _____ उपजाति : _____ वर्ग डिब्बे में सही का निशान लगाए
(अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
12. पिता का व्यवसाय : _____ पिता की वार्षिक आय : _____
13. माता का व्यवसाय : _____ माता की वार्षिक आय : _____
14. माता-पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय : _____ (आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
15. स्थायी पता : _____
विकासखण्ड : _____ जिला _____ पिन कोड _____
1. पालक का व्हाट्सएप नं. : _____ 2. मोबाइल नं. : _____
3. ई-मेल आई.डी. : _____ 4. आधार नं. : _____
16. पत्र-व्यवहार का पता : _____
विकासखण्ड : _____ जिला _____ पिन कोड _____
17. स्थानीय अभिभावक का नाम : _____ छात्र से उनका संबंध : _____
स्थानीय अभिभावक का पता : _____
व्यवसाय : _____ आधार नं. : _____
व्हाट्सएप नं. : _____ मोबाइल नं. : _____
18. विद्यार्थी के घर से शाला की दूरी _____ गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड नम्बर _____
19. प्रवेशित विद्यालय में प्रवेश दिनांक _____ प्रवेशित छात्रावास में प्रवेश दिनांक _____

छात्र का
नवीनतम
फोटोग्राफ

छात्र की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूँगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं, या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है, तो शाला-प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र का हस्ताक्षर

पालक की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र में दी गयी सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या छात्र किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है तो शाला-प्रबंधन को मेरे पाल्य का प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का नवीनतम फोटोग्राफ

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नाम _____

छात्र से सम्बन्ध _____

स्थानीय अभिभावक की घोषणा

मैं श्री _____ के पुत्र चि. _____ का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूँगा/लूँगी।

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ
--

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

नाम : _____

छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण-सत्र के लिए होगा। पात्र छात्रों को छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा। छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षों में छात्र द्वारा किये गये आचार-व्यवहार के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध में शाला-प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
2. छात्रों को विद्यालय-परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय-परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा। साथ ही बालों की कटिंग भी सामान्य (संस्था के निर्देशानुसार) होनी चाहिये।

3. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपराह्न 1 से 5 बजे तक मिल सकते हैं। मिलते समय पाल्य को व्यक्तिगत रूप से खाने-पीने की वस्तुएँ देना मना है।
4. पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से छात्रावास के मुख्य द्वार के पास बने प्रतीक्षा स्थल पर मिल सकेंगे।
5. छात्र से मिलने वाले 2 लोगों का नाम पता व मोबाइल न. एवं फोटो फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना चाहे तो छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगा। पालक यदि प्राचार्य/शिक्षक से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं समय में ही मिल सकेंगे। प्रत्येक रविवार को पालक अपने पाल्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए दोपहर 1.30 से 4.30 बजे तक छात्रावास अधीक्षक से मिल सकते हैं।
6. रायपुर से बाहर रहने वाले पालकों को आवेदन-पत्र में स्थानीय पालक का नाम, पूर्ण पता तथा मोबाइल नम्बर देना आवश्यक है जो आवश्यकता पड़ने पर छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी ले सके। चयनित छात्रों के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
7. यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नम्बर में परिवर्तन होता है तो उनको प्राचार्य-कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
8. छात्रों के लिए विद्यापीठ-परिसर में मल्टी-मीडिया मोबाइल/स्मार्ट फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। वे आवश्यक होने पर केवल छात्रावास में की-पेड (सामान्य) मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। यदि छात्रों के पास मल्टी-मीडिया मोबाइल पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जावेगा तथा छात्र को वापस नहीं किया जावेगा एवं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। विद्यालय एवं स्वाध्याय की अवधि में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
9. विद्यापीठ में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
10. छात्रों को विद्यापीठ द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे – प्रातः एवं सन्ध्या-प्रार्थना, खेलकूद, विद्यालय तथा स्वाध्याय की कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। छात्रों के निर्धारित समय एवं स्थान में अकारण अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. पालकों को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार-व्यवहार आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। विद्यालय में आयोजित पालक-शिक्षक की बैठकों में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पालकों का बैठकों में उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में छात्र को आगामी वर्ष में प्रवेश से रोका जा सकता है।
12. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में 'पूरक' की पात्रता होने पर या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
13. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिये बहुत सी सामग्रियाँ दी जाती हैं। कुछ छात्र उन सामग्रियों को असमय में ही नष्ट कर देते हैं या गुमा देते हैं। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्यापीठ-परिसर में स्थित भवनों को अथवा विद्यापीठ की सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार/नवीन क्रय हेतु व्यय की गयी राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
14. छात्र विद्यालय-परिसर से बाहर प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक की अनुमति से ही जा सकेंगे, बिना अनुमति के बाहर जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
15. विद्यापीठ में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक/स्थानीय अभिभावक की होगी।

16. विद्यापीठ-परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकूद, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगी।
17. विद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विद्यालय में प्रवेशित छात्र को विशेष परिस्थितियों में केवल पाँचवीं, आठवीं, और दसवीं कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद विद्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।
18. छात्र द्वारा विद्यालय/छात्रावास के नियमों का उल्लंघन/अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर छात्रों को विद्यालय/छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है एवं उनके अनुशासनहीनता का उल्लेख स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र में किया जाएगा।
19. विद्यालय स्वच्छता-अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था-परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्य स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गयी कोई भी कार्यवाही छात्र/पालक को मान्य करनी होगी।
20. छात्रों को अपने पास 10 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं पिछले वर्ष की अंकसूची की छायाप्रति छात्रावास में आवश्यक रूप से रखना होगा, ताकि आवश्यकता होने पर उनसे तत्काल प्राप्त किया जा सके।
21. समय-समय पर विद्यापीठ में परिवर्तित/संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

प्राचार्य

संयुक्त घोषणा

हमने उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 1 से 21 में दर्शित छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हम विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियम एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करेंगे।

छात्र का हस्ताक्षर

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

पालक का हस्ताक्षर

छात्र से मिलने वाले अन्य 2 लोगो का विवरण

छात्र से मिलने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटोग्राफ	नाम _____	छात्र से मिलने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटोग्राफ	नाम _____
	छात्र से संबंध _____		छात्र से संबंध _____
	पता _____		पता _____
	_____		_____
	मोबाइल नं. _____		मोबाइल नं. _____

संयुक्त घोषणा

मैं _____ छात्र _____ कक्षा _____ का पालक होने के नाते उपरोक्त 2 व्यक्तियों को छात्र से मिलने की अनुमति देता हूँ। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा विद्यापीठ परिसर में नियमों का पूर्ण पालन किया जावेगा। उपरोक्त दर्शित हम दोनों व्यक्ति घोषणा करते हैं कि हमारे संबंध में उपरोक्त दर्शित जानकारी सही है और हमारे द्वारा छात्र से मिलते समय विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

पालक का हस्ताक्षर

छात्र से मिलने वाले
अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

छात्र से मिलने वाले
अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर